क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण

हॉल पता– स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी,
जोधपुर–342005, मो. नं. 7023042914
ईमेल–rojodhpurrural @gmail.com

क्रमांक /आरओ–जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25–26/869 दिनांक – 04/11/2025

खुली बोली वाहन निविदा 04 / 2025–2026

वित्त विभाग (बजट अनुभाग) के परिपत्र संख्या एफ.9 (1) एफ.डी.1 (1) बजट 2015 दिनांक 15.05.2015 के अनुसरण में विभाग वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, दिनांक 28.02.2019, दिनांक 05.04.2022 एवं दिनांक 03.10.2023 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक एफ 8(348) / रा.प्र.नि.म / स्टोर / 1579–81 दिनांकः 23.09.2025 के अनुरार अनुबन्ध किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए क्षेत्रिय कार्यालय ग्रामीण के क्षेत्राधिकार में संचालन हेतु प्रतिमाह निर्धारित किलोमीटर एवं किराए के आधार पर वाहन किराया अनुबंध पर लेने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, के अनुसरण में क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण में मॉनिटरिंग व सैम्पलिंग हेतु संविदा पर एक वाहन (मय डीजल /पेट्रोल / सीएनजी एवं चालक सहित) जिसमें प्रयोगशाला सबंधित उपकरण रखने हेतु पर्याप्त जगह (डिक्कि) समकक्ष वाहन (जैसे बोलेरो केम्पर / फोर्स ट्रैक्स क्रुजर / इसुजु इत्यादि) हो किराया अनुबंध एक वर्ष तक के लिये जाने हेतु खुली वाहन निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन नवीनतम मॉडल (अधिकतम 5 वर्ष से पुराना नहीं) का होना चाहिए एवं टेक्सी परमिट होना चाहिए। निविदा प्राप्त न होने पर नवीनतम मॉडल एवं न्यूनतम दर वाले टैक्सी परमिट वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। आपूर्तिकर्ता वाहन के अनुबंध के संबंध में वित्त विभाग, राज्य सरकार के वाहन निविदा सूचना नियम व शर्तों के लिए पाबंद रहेगा।

इच्छुक निम्न विवरणानुसार अपना आवेदन व दरें वांछित जानकारी के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण को प्रस्तुत कर सकेगा।

क0 स0	विवरण	विशेष विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत(वार्षिक)	346800 रूपये
2	निविदा प्रपत्र शुल्क	200/– रूपये नकद अथवा डीडी Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur rural के पक्ष में।
3	निविदा के साथ प्रतिभूति राशि	डीडी के रूप में 6936/– Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur rural के पक्ष मे।
4	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	17340/– Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur rural के पक्ष में।
5	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रकाशन की दिनांक 06/11/2025 से दिनांक 20/11/2025 प्रातः 11:00 बजे तक
6	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	20/11/2025 दोपहर 1:00 बजे तक।
7	निविदा की तकनीकी एवं वितीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	21/11/2025 दोपहर 2:00 बजे उपापन कमेटी के समक्ष

निविदा की ये शर्ते कार्यालय दिवसों में अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं भी देखी जा सकती है।

Tender NIB No ..PCB2526A0074

Tender UBN No PCB2526SSOB00077

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण
हॉल पता– स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, वासनी,
जोधपुर–342005, मो. नं. 7023042914
ईमेल–rojodhpurrural @gmail.com

क्रमांक /आरओ–जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25–26/ दिनांक –

नियम एवं शर्ते

1. वाहन 5 वर्ष से पुराना नही होना चाहियें तथापि नवीनतम वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. वाहन के साथ वाहन के मालिकाना हक के कागजात, वाहन बीमा के कागज, वाहन मालिक का बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति, फर्म जीएसटी नम्बर, पेन कार्ड आदि कागज अपने लेटर पेड़ पर दरों के साथ उक्त कागजात संलग्न करना सुनिश्चित करें। **(तकनीकी निविदा प्रपत्र अनुसार लिफाफा संख्या – 01)**
3. निविदादाता अपनी वित्तिय दरें निविदा प्रपत्र के साथ अलग लिफाफे में संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होगे। **(वित्तिय निविदा प्रपत्र अनुसार लिफाफा संख्या – 02)**
4. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक को निविदा मूल्य के 02 प्रतिशत की दर से निविदा धरोहर राशि का डीडी जो कि Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur rural, के पक्ष में देय हो, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनका निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किया जावेगा।
5. वाहन का टेक्सी पासिंग होना, रजिस्ट्रेशन होना तथा वाहन स्वामी द्वारा समय पर वार्षिक बीमा व परिवहन कर की राशि जमा कराके दस्तावेजात कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करना होगा।
6. सफल निविदा दाता/आवेदक को 05 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डीडी/एफडीआर के रूप में Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur rural, के पक्ष में देय हो, जमा कराकर 500/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा राज्य सरकार के नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती की जावेगी।
7. प्रतिदिन वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, जो वाहन मालिक की जोखिम पर कार्यालय परिसर / दुरस्थ स्थान पर खड़ा करना एवं ले जाना होगा।
8. वैध लाईसेंस धारक चालक रखा जावेगा।
9. वाहन पर कुशल, अनुशासित व वैध लाईसेंस धारक चालक वाहन मालिक द्वारा रखा जावेगा।
10. वाहन मालिक द्वारा माह की समाप्ति के एक सप्ताह में बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। नगद भुगतान देय नही होगा।
11. बिल के साथ लॉग बुक में अंकित यात्रा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने पर कैशियर कार्यालय हाजा बिल के भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण
हॉल पता– स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी,
जोधपुर–342005, मो. नं. 7023042914
ईमेल–*rojodhpurrural @gmail.com*

क्रमांक /आरओ–जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25–26/ दिनांक –

13. सन्तोषप्रद सेवा नहीं एवं कार्यालय में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार वाहन को किसी भी समय हटाया जा सकता है।
14. समस्त व्यय भार व चालक वेतन आदि समस्त भार वाहन मालिक द्वारा वहन किये जायेंगें। निर्धारित मासिक किराये के अलावा कोई भार इस कार्यालय द्वारा वहन नही किया जावेगा।
15. जीएसटी की की राशि अतिरिक्त देय होगी।
16. सफल निविदादाता द्वारा कार्यालय को आवश्यकता होने पर स्वीकृत दरों पर ही अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जावेगा।
17. वाहन में टूट–फूट/दुर्घटना/चालान/चोरी होने/वाहन दुर्घटना क्लेम आदि की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगीं।
18. वाहन 24 घन्टे उपलब्ध कराना होगा। आवश्यकता पर वाहन उपलब्ध नहीं कराये जानें पर/चालक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर राशि 500/– प्रतिदिन के हिसाब से कटौती किया जावेगा।
19. राजकीय अवकाश पर वाहन को कार्यालय में ही रखा जावेगा।
20. समस्त विधिक कार्यवाही का मुख्यालय जोधपुर होगा।
21. वाहन मालिक द्वारा आदेश में वर्णित शर्तो को स्वीकार कर लिया गया है। उक्त स्वीकारोक्ति को स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करा कर शीघ्र ही प्रस्तुत कराना होगा, तब ही वाहन किराये का भुगतान किया जावेगा।
22. क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर ग्रामीण के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्राधिकार में वाहन कच्चे व पक्के मार्गो पर चलेगा व वाहन रात्रि विश्राम भी गांवो में रूकना पड सकता है।
23. उक्त वाहन अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक के लिये होगी। आपसी सहमति से सन्तोषप्रद कार्य होने पर आगे बढाया जा सकता है। बजट उपलब्धता की स्थिति में निरन्तर वाहन को चालू रखा जावेगा।
24. वाहन किराया का भुगतान प्रस्तुत दर एवं वित्त विभाग नियम व शर्तो द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार संशोधित पर किये जाने पर तदानुसार देय एवं लागू होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म, जोधपुर (ग्रामीण)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण
हॉल पता– स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, वासनी,
जोधपुर–342005, मो. नं. 7023042914
ईमेल–rojodhpurrural @gmail.com

क्रमांक /आरओ–जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25–26/

दिनांक –

(लिफाफा नम्बर–01)

निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

क.सं.	विवरण	संलग्नक कमांक
1.	टेक्सी परमीट वाहन धारक/ठेकेदार/फर्म वाहन आपूर्ति कर सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव यदि हो तो। (अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करे)	
2.	टेक्सी पासिंग वाहन के मालिकाना हक के कागजात (रजिस्ट्रेशन इत्यादि)	
3.	टेक्सी पासिंग वाहन बीमा के कागजात	
4.	टेक्सी पासिंग वाहन फिटनेष सम्बन्धी कागजात	
5.	वैध टेक्सी वाहन चालन लाईसेंस	
6.	टेक्सी पासिंग वाहन मालिक का बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति	
7.	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी)	
8.	आयकर (पैन नंबर)	
9.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50 रू. के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर शपथ पत्र	

दिनांक :–

स्थान :–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण
हॉल पता— स्पेशल प्लाट न.—2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, वासनी,
जोधपुर—342005, मो. नं. 7023042914
ईमेल—rojodhpurrural @gmail.com

क्रमांक /आरओ—जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25—26/ दिनांक —

(लिफाफा नम्बर—02)

वित्तिय दर प्रपत्र

क्र.स.	विवरण	दर प्रति माह (जीएसटी के अतिरिक्त)
1	वाहन 1500 कि.मी. प्रतिमाह तक के लिये	

दिनांक :—

स्थान :—

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित

[signature]
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल जोधपुर, ग्रामीण
हॉल पता– स्पेशल प्लाट न.–2, मण्डोर औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी,
जोधपुर–342005, मो. नं. 7023042314
ईमेल–rojodhpurrural @gmail.com

क्रमांक /आरओ–जोध.ग्रामीण /वाहन संविदा/25–26/ दिनांक –

खुली बोली निविदा सूचना 04/2025–2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु सेम्पलींग व मॉनिटरिंग हेतु टेक्सी वाहन की सेवाऐं संविदा पर एक वाहन (चालक सहित) जिसमें प्रयोगशाला सबंधित उपकरण रखने हेतु पर्याप्त जगह (डिक्कि) समकक्ष वाहन जैसे बोलेरो केम्पर/फोर्स ट्रैक्स (इसुजु) हो किराया अनुबन्ध पर लिये जाने के कार्य की खुली बोली निविदा सूचना के अनुसार 28900/– रुपये प्रतिमाह अधिकतम 1500 किलोमीटर प्रतिमाह के अनुबन्ध के आधार पर कराने हेतु टैक्सी परमीट वाहन धारकों, फर्मो, पंजीकृत संस्थाओं/एजेन्सियों से दर प्राप्ति हेतु डबल कवर सिस्टम में खुली बोली निविदा आमंत्रित की जाती है। बोली निविदा प्रपत्र दिनांक 06/11/2025 से दिनांक 20/11/2025 प्रातः 11 बजे तक बोली प्रपत्र शुल्क 200/– रुपये नकद/डीडी/बैंकर चैक द्वारा जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है। खुली बोली निविदा सूचना सम्बन्धित सभी दस्तावेज की सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट http:/www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

NIB Code-..PCB2526A0074...........

UBN Code- PCB...PCB2526SSOB00077

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, जोधपुर,(ग्रामीण)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

O.C.